

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।  
द्वारा फैक्स / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन नम्बर-0522-2207997 / फैक्स न.0522-2206120

ईमेल- [www.igkarmik-up@nic.in](mailto:www.igkarmik-up@nic.in)

संख्या-डीजी-1-64-2014

दिनांक: मार्च 30, 2016

सेवा में,

1- ~~समस्त~~ अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।

2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ0प्र0 ।

3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सहायक पुलिस अधीक्षक

कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-26012/01 /2014-आईपीएस-II दिनांक 26-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने हेतु निम्नांकित निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

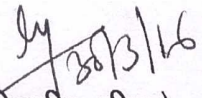
for the year 2014 (as on 01.08.2014) and the returns for the year 2015 (as on 31.03.2015) has **now been further extended from 15 October, 2015 to 15 April, 2016**

In view of the above, it is requested that these instructions may be widely circulated to all concerned and strict compliance for filing of above returns under the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 within the prescribed time limit may be ensured.

2- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-26012/01/2014-आईपीएस-II दिनांक 09-09-2014 के प्रस्तर-4 में निम्नांकित निर्देश दिये गये थे:-

The IPS officers in your State/Organisation may please be advised to submit their Annual Returns of Assets and Liabilities in prescribed format to their **respective administrations and to this Ministry, IPS.II Section (Room No. 219A) North Block, New Delhi-1**

2- अनुरोध है कि यदि अभी तक लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आपके द्वारा सम्पत्ति विवरण प्रेषित न किया गया हो तो दिनांक 15-4-2016 के पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें।

  
(पी0सी0 मीना)

अपर पुलिस महानिदेशक /  
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,  
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।